

9- ग्राम प्रासवत द्वारा आहरण के प्रत्येक वर्ष पर अपने लेखों का गिलान महालेखाकार कार्यालय के अध्यक्ष को महा शासन को गिलान की सूचना उपलब्ध कराई जाय तथा किशों को भुगतान का गिलान शासन करा हो।

10- भविष्य में जहां सभी स्वीकृत किया जायेगा जब यह सुनिश्चित हो जाय कि ग्रामी क्षेत्रों इस प्रार्षिक लेखों का गिलान महालेखाकार कार्यालय से करा लिया है ताकि अवशेष ग्राम की स्थिति शासन को से और ग्राम साधा महालेखाकार से इस आशय का प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दे।

11- स्वीकृत पत्राशि का अनुमोदित प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन को दिनांक 30.03.2013 तक उपलब्ध करा दिया जायेगा। योजना का वार्षिक रूप से व्यय विवरण शासन को प्रेषित किया जायेगा।

12- जिला योजना में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याणार्थ पत्राशि अलग से निर्गत रही है।

13- अनागत भी जा रही पत्राशि का जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित स्तान में वित्तीय एवं वार्षिक प्रगति के लक्ष्य अनुसार व्यय किया जायेगा।

14- स्वीकृत पत्राशि चालू वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्यय के अनुदान रा0 21 के अन्तर्गत लेख 000-विद्युत परिवरणमाओं के निर्मा-वार्ज-05-परिप्रेषण एवं वितरण-आयोजनागत-150-सरकारी क्षेत्र के उपकर अन्य उपकरणों में निवेश-01-विद्युत योजना-01-उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन को वार्ज-30-निवेश/वार्ज 1 डाला जायेगा।

यह आदेश जिला विभाग के आदेश सं0 193/XXVII(1)/2012, दिनांक 30.03.2012 में सति प्रतिकर्षों एवं दिशा-निर्देशों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

सहायक-उद्योग

भवदीय

(सजीव कुमार शर्मा)
अ. सचिव

पत्र संख्या 120(1)
/1(2)/2011-06(1)/35/06, दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सहायक की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु दे रत-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
- 2- निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- प्रमुख सचिव-मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
- 4- अनागत गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल।
- 5- जिलाधिकारी, उधमसिंह नगर।
- 6- निदेशक, कोषागार एवं वित्त संयोज, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 7- प्रमुख निदेशक, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0, देहरादून, उत्तराखण्ड।
- 8- सहायक जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति, उत्तराखण्ड।
- 9- सहायक कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 10- सहायक अधिशासी अभियन्ता (जिला स्तरीय अधिवासी), उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0, उत्तराखण्ड प्रमुख निदेशक, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0, देहरादून।
- 11- जिला अनुभाग-2/बजट निदेशालय।
- 12- नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 13- प्रमारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
- 14- निदेशक सेल, अजा।
- 15- मा0 फाटल हेतु।

सहायक-उद्योग।

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
नई दिल्ली (टिहरी गढ़वाल)

अक्षय से
(सजीव कुमार शर्मा)
अ. सचिव